फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

मोतीराम बनाम हड़मानराम

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 365/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.215	वकील वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–लाम्बिया में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 890 रकबा 80–07 बीघा में वादी के पिता का देहान्त हुआ तब वादी छोटा था जिससे उक्त भूमि के 1/8 हिस्से में बड़े भाई हड़मानराम के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ व वादी का नाम दर्ज होने से रह गया। वादी एवं प्रतिवादी ने तहरीरी राजीनामा पेश किया कि वादी का नाम खतेदारी भूमि में दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नही है। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा–लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 890 रकबा 80–07 बीघा में वादी के पिता का देहान्त हुआ तब वादी छोटा था जिससे उक्त भूमि के 1/8 हिस्से में बड़े भाई हड़मानराम बड़े भाई के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ व वादी का नाम दर्ज होने से रह गया। वादी एवं प्रतिवादी ने तहरीरी राजीनामा पेश किया कि वादी का नाम खतेदारी भूमि में दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नही है। राजीनामा के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1319 रकबा 12.12 बीघा भूमि में वादी के पिता का देहान्त हुआ तब वादी छोटा था जिससे उक्त भूमि के 1/8 हिस्से में बड़े भाई हड़मानराम बड़े भाई के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ व वादी का नाम दर्ज होने से रह गया। वादी एवं प्रतिवादी ने तहरीरी राजीनामा पेश किया कि वादी का नाम खतेदारी भूमि में दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नही है। राजीनामा के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO	

Scanned by CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, जैतारण (पाली)

मोतीराम बनाम हड़मानराम

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 365 सन् 15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/19	वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 R/W धारा 151 CPC का पेश करने से पत्रावली बाद पेश हुई। वादी ने प्रार्थना पेश किया कि उक्त अदालत के प्रकरण में राजस्व लोक अदालत ग्राम 2015 के जरिये राजीनामा वाद डिक्री हुआ था। उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15/7/15 में टंकण त्रुटि/गलती से ख.नं. 890 रकबा 80-07 बीघा किता का अवल सरहद मौजा लाम्बिया के स्थान पर ख.नं. 1319 रकबा 12-12 बीघा सरहद बासनी अंकित हो गया। जिसके मिलान तलब कर उक्त गलती में दुरुस्ती सरहद मौजा बासनी ख.नं. 1319 रकबा 12-12 बीघा के स्थान पर मौजा लाम्बिया ख.नं. 890 रकबा 80-07 बीघा सही कर संशोधित डिक्री करावे। प्रार्थना की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निर्णय एवं डिक्री जारी दिनांक 15/7/15 में टंकण व लिपिकीय गलती से मौजा बासनी ख.नं. 1319 रकबा 12-12 बीघा अंकित हो गया है जिसके स्थान पर सरहद मौजा लाम्बिया ख.नं. 890 रकबा 80-07 बीघा किता का अवल सही दुरुस्त किया जाता है। आदेशिका को निर्णय का एक भाग माना जावे। संशोधित डिक्री जारी हो। संशोधित डिक्री तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली कोर्ट कार्यवाही दाखिल दफ्तर रिकॉर्ड/ नियम किया जावे। (हस्ताक्षर)	मोतीराम LTI LTI हड़मानराम

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- **श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर०ए०एस०**

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. मोतीराम पुत्र किशनाराम जाति-माली, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. हड़मानराम पुत्र किशनाराम जाति-माली, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 365/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण के खसरा नम्बर 890 रकबा 80-7 बीघा भूमि में हड़मानराम, मोतीराम को 1/8 हिस्से का राजीनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....-.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व से आज तारीख 10/01/2019 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner